न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री **ए.एच.गौरी**, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 01/2017

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री राजकुमार पुत्र आसाराम मोदी – मैसर्स आर.के.इण्डस्ट्रीज, 176 औद्योगिक क्षैत्र बीछवाल, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 20 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – अप्रार्थी स्वयं

निर्णय दिनांक 02.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.10.2016 को अप्रार्थी श्री राजकुमार मोदी पुत्र श्री आसाराम मोदी(विक्रेता) मैसर्स आर.के.इण्डस्ट्रीज, 176 औद्योगिक क्षैत्र बीछवाल बीकानेर के यहां फ्लोर मिल का निरीक्षण करने पर लाल मिर्ची पैकड पाउच (दीपक ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के 40 नग आमजन बिक्री हेतु रखा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक लाल मिर्ची पैकड पाउच (दीपक ब्राण्ड) प्रत्येक 500 ग्राम की चार पोली पैक्ड नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 500/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त प्राप्त नमूना जांच लाल मिर्ची पैकड पाउच (दीपक ब्राण्ड) को नियमानुसार सील्ड पैक कर उक्त सील्ड युक्त पैकेट में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/3272/Act/ 2016/944 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें लाल मिर्ची पाउडर (दीपक ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा लाल मिर्ची पैकड पाउच (दीपक ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जबाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत किया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से लाल मिर्ची पैकड पाउच (दीपक ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Haldi Powder" (Deepak) bearing Code No. and Sr. No. J-1305 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां लाल मिर्ची पैकड पाउच (दीपक ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

3. अप्रार्थी की लिखित बहस है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के यहां मिर्ची पैकड पाउच एवं हल्दी पाउडर पैक्ड पैकेट के नमूने लिये थे। इन दोनों मसालों की पैंकिंग का ब्राण्ड एक ही है, जबकि दो अलग–अलग सैम्पल लिये है। अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर खाद्य सामग्री को पिसाई से पूर्व सफाई मशीन से साफ–सफाई एवं छंटाई कर पिसाई की जाती है, तत्पश्चात् लेबलिंग के सभी पैरामीटरस् की पूर्ण पालना की जाकर पैक्ड कर विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी के यहां पाई गई मिर्च पाउडर जांच रिपोर्ट में पूर्णतया शुद्धता पाई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानक अन्तर्गत समस्त पैरा मिटरस् में शुद्ध पाया गया है। लाल मिर्च पाउडर केवल फूड सेफटी एण्ड स्टैण्डर्डस(पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेग्यूलेशन 2011) के तहत मिसब्राण्ड पाया गया था, जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है। अप्रार्थी द्वारा लाल मिर्ची की पिसाई स्वयं की देखरेख में की जाती है तथा किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखते हुवे पैकिंग की जाती है। अतः अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही को खारिज करने के आदेश फरमावें ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संलग्न मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS/3272/Act/ 2016/944 दिनांक 23.11.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में The sample of "Chilli Powder" (Deepak) bearing Code No. and Sr. No. J-1305 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां लाल मिर्ची पाउडर (दीपक ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत रू. 15,000/– अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner